

भरतपुर: नकली दूध बनाने वाले फैक्ट्री का भांडा फोड़, संचालक फरार

पुलिस ने बताया कि यहां पर दूध के साथ नकली मावा भी बनाया जाता था, जिसे यूपी में सप्लाई किया जाता था।

Hindi News

Zee Rajasthan

भरतपुर



चिलर प्लांट संचालक छापामारी के बाद से फरार है

जी न्यूज डेस्क

Updated:

Sep 4, 2018, 07:59 PM IST

भरतपुर/देवेन्द्र सिंह: भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में दो दशक से नकली दूध बनाने का काम हो रहा था. जिसका खुलासा पुलिस की पूछताछ में चिलर प्लांट पर नकली दूध बनाने का काम करने वाले कार्मिकों ने किया है. पुलिस को उन्होंने बताया है कि यहां पर दूध के साथ साथ नकली मावा भी बनाया जाता था, जिसे सीमावर्ती राज्य यूपी में सप्लाई किया जाता था.

खाद्य विभाग के नियमित जांच के दावों के बीच **बयाना कस्बे** में लम्बे समय से चल रहे मिलावटी दूध बनाने की बात सामने आने से इलोके लोग सकते में हैं. पुलिस ने सोमवार को फैक्ट्री की जांच कर बंद कमरों से रखे सामान को जब्त किया और संचालक के घर की तलाशी भी ली. पुलिस ने रीको इलाके में चिलर प्लांट संचालक विष्णु गुप्ता पुत्र बट्टीप्रसाद वैश्य के खिलाफ भादसं और खाद अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है.



स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर्मचारियों को पूछताछ के लिए रिमाण्ड पर ले लिया है. जबकि चिलर प्लांट संचालक छापामारी के बाद से फरार है. उधर, जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच रुपवास थाना प्रभारी मदनलाल मीणा को सौंपी गई है.

कमरों में मिला अवैध दूध निर्माण का सामान

पुलिस ने सोमवार को वापस चिलर प्लांट के पिछवाड़े बने कमरों की जांच की. दो कमरों में बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध बनाने में काम में आने वाले सामान के कट्टे, कर्टन और पीपे मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यहां प्लांट में केमिकल व अन्य पदार्थ से दूध व मावा बनाया जाता था. जिला खाद सुरक्षा अधिकारी आसमदीन खान व जिला रसद अधिकारी की टीम ने मौके से नमूने लिए हैं.

जो सामान मिला उसका नहीं होता है उपयोग

चिलर प्लांट से पुलिस ने बड़ी मात्रा में हाईड्रोजन आक्साइड के 9 ड्रम, कास्टिक पोटाश के 5 कट्टे, खाली रिफाइंड के 20 पीपा, नकली देशी घी 1 पीपा, खतरनाक केमिकलों से बनाई गई भारी मात्रा में क्रीम जब्त की गई. अन्य चिलर प्लांट संचालकों की माने तो दूध की खरीद करके उसे ठंडा कर सप्लाई करने में इन चीजों का कहीं कोई भी उपयोग नहीं होता है.

थाना प्रभारी ने चिलर प्लांट संचालक विष्णु गुप्ता व कार्य करते मिले रामसिंह, सुभाष और मौके से फरार चयचौली निवासी बिजेन्द्र प्रजापत के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 272, 336 व खाद सुरक्षा अधिनियम की धारा 58 व 59 के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला दर्ज किया है.

महंगी दर पर खरीदता था दूध

बयाना कस्बा निवासी विष्णु गुप्ता का नब्बे के दशक से **रीको इलाके** में शिवशक्ति आईस फैक्ट्री और चिलर प्लांट है. उसके बाद देखते यहां आधा दर्जन चिलर प्लांट और खुल गए. जानकारों की माने तो इस दूध फैक्ट्री पर दूसरे चिलर प्लांटों से कहीं अधिक महंगी दर पर दूध की खरीद करने का काम किया जाता था, जिससे दूसरे चिलर संचालकों के साथ ही इनका हमेशा से ही दूध की दरों को लेकर विवाद रहता था.

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दूध को 100 डिग्री तक गर्म करके उसमें केमिकल व रिफाइंड आदि मिलाकर मोटर की सहायता से मथा जाता है. दूसरी तरफ असली दूध में से क्रीम निकाल कर उक्त मिलावटी सामग्री को दूध में मिला दिया जाता है. उसे डेयरी के जरिए यूपी व आसपास के जिलों में खपाया जाता था.

Source: <https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/bharatpur/bharatpur-police-caught-a-fake-milk-making-factory/442474>